

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री कमल कुमार मीना R.A.S

मिसल नं०  
39/प्रा०पत्र/2021

तारीख दायर  
02.06.2021

तारीख फैसल  
21.06.2021

सत्यनारायण आ० घनश्याम जाति मेहर निवासी ग्राम डाबी तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज०)

.....प्रार्थी

बनाम

1. बालचन्द आ० देवी लाल जाति बलाई निवासी ग्राम डाबी तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज०)
2. राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार तालेड़ा जिला बून्दी (राज०)

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ताप्रार्थी:- श्री नन्द सिंह सोलंकी

अधिवक्ता अप्रार्थीगण:-

- :: निर्णय :: -

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 136 भू-राजस्व अधिनियम

संक्षेप में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किये कि:-

1. यह कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि ख०सं० 1884/1348 रकबा 0.8094 हैक्टेयर वाके ग्राम डाबी तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज०) में विस्थित है। इसी प्रकार अप्रार्थी सं० 1 की कृषि भूमि ख०सं० 1158/1348 रकबा 0.8094 हैक्टेयर वाके ग्राम डाबी तहसील तालेड़ा जिला बून्दी में स्थित है। उपरोक्त दोनों भूमियों के मूल ख०सं० पूर्व में 1348 दर्ज थे।
2. यह कि आज से 6 माह पूर्व तालेड़ा में राजस्व रिकार्ड में ऑनलाईन की कार्यवाही जैरकार थी, इस दौरान तहसीलदार तालेड़ा ने मौका देखे बगैर उपरोक्त दोनों भूमियों का नक्शा मौका स्थिति के अनुसार तरमीम नहीं किया। वर्तमान में प्रार्थी की कृषि भूमि अप्रार्थी सं० 1 की कृषि भूमि के पूर्व दिशा में स्थित है तथा अप्रार्थी सं० 1 की कृषि भूमि प्रार्थी की कृषि भूमि के पश्चिमी दिशा में स्थित है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने तहसील कार्यालय में बैठकर उक्त भूमि का नक्शा गलत तरमीम करते हुए, प्रार्थी की कृषि भूमि को उत्तर दिशा में दर्ज कर दिया तथा अप्रार्थी सं० 1 की भूमि को दक्षिण दिशा में दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी मौका स्थिति के अनुसार प्रार्थी उत्तर से दक्षिण, पूरब दिशा में काबिज काश्त है एवं अप्रार्थी सं० 1 उत्तर से दक्षिण पश्चिम दिशा में काबिज काश्त है।
3. यह कि प्रार्थी के द्वारा कम्प्यूटर कृत ऑनलाईन राजस्व नक्शे की नकल 1 जनवरी, 2021 को प्राप्त की तब उक्त तथ्य की जानकारी हुई तत्समय ही प्रार्थी ने उक्त राजस्व नक्शे में हो रही तरमीम को वर्तमान भौतिक स्थिति के अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार तालेड़ा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार तालेड़ा के द्वारा मौका रिपोर्ट भी हल्का पटवारी से मंगवाई गई परन्तु तहसीलदार तालेड़ा के द्वारा मौका रिपोर्ट के अनुसार राजस्व नक्शा तरमीम नहीं किया गया तथा प्रार्थी को नेक सलाह दी की आप श्रीमान न्यायालय में इन्द्राज दुरुस्ती का प्रार्थना प्रस्तुत करें। प्रार्थी उक्त कारणवश श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है।
4. यह कि वर्तमान भौतिक स्थिति के अनुसार राजस्व नक्शा तरमीम नहीं होने के कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि का विकास कराने में अनेक समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
5. यह कि प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय से कृषि भूमि ख०सं० 1884/1348 तथा ख०सं० 1158/1348 के राजस्व नक्शे को वर्तमान भौतिक स्थिति के अनुसार तरमीम कराकर इन्द्राज दुरुस्त करावे।



उपखण्ड अधिकारी  
तालेड़ा जिला बून्दी(राज०)

प्रार्थी ने दिनांक 01.01.2021 को तहसीलदार तालेडा को उपरोक्त इन्द्राज दुरुस्त करने का करना पत्र प्रस्तुत किया जिसे लेने से तहसीलदार तालेडा ने इन्कार कर दिया तथा इन्द्राज दुरुस्त करने से भी इन्कार कर दिया। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का वाद कारण दिनांक 01.01.2021 को उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है।

यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित होने से माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर कृषि भूमि ख0सं0 1884/1348 रकबा 0.8094 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी सं0 1 की कृषि भूमि ख0सं0 1158/1348 रकबा 0.8094 हैक्टेयर वाके ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी है के वर्तमान राजस्व नक्शे में निम्नप्रकार तरमीम किये जाने का आदेश तहसीलदार तालेडा को दिया जावे कि प्रार्थी की कृषि भूमि ख0सं0 1884/1348 को वर्तमान राजस्व नक्शे में उत्तर से दक्षिण, पूरब दिशा में तरमीम करें एवं अप्रार्थी सं0 1 की कृषि भूमि ख0सं0 1158/1348 को उत्तर से दक्षिण पश्चिम दिशा में तरमीम कर इन्द्राज दुरुस्त करे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 लगा0 8 ईबारत स्वीकार है। प्रार्थना प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाने की कृपा करे। अप्रार्थी सं0 2 परोकार सरकार की और से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त ख0सं0 1884/1348 के पश्चिम मे रास्ते के सहारे बालचन्द आ0 देवी लाल तथा पूर्व दिशा में सत्यनारायण आ0 घनश्याम मेहर लम्बवत रूप से काबिज है। उक्त अनुसार ऑनलाईन नक्शा शुद्ध किया जाना उचित है।

साक्ष्य में नकल जमाबन्दी खाता सं0 259 ग्राम डाबी संवत् 2076, पटवारी हल्का डाबी की असल मौका रिपोर्ट की प्रति पेश की।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी खाता सं0 259 ग्राम डाबी संवत् 2076, पटवार मण्डल डाबी पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी सं0 2 परोकार सरकार द्वारा खातेदारी भूमियों के रकबे व खसरा, नक्शा ट्रेस के तरमीम में राजस्व रिकार्ड के कम्प्यूटरीकृत ऑनलाईन में कब्जा अनुसार शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है। इसी प्रकार अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार कर तरमीम शुद्ध किये जाने हेतु निवेदन किया है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वर्तमान राजस्व नक्शे में ख0सं0 1884/1348 रकबा 0.8094 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी सं0 1 की कृषि भूमि ख0सं0 1158/1348 रकबा 0.8094 हैक्टेयर वाके ग्राम डाबी दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि का नक्शा गलत तरमीम होने से प्रार्थी की कृषि भूमि को उत्तर दिशा में दर्ज कर दिया तथा अप्रार्थी सं0 1 की भूमि को दक्षिण दिशा में दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी मौका स्थिति के अनुसार प्रार्थी उत्तर से दक्षिण, पूरब दिशा में काबिज काशत है एवं अप्रार्थी सं0 1 उत्तर से दक्षिण, पश्चिम दिशा में काबिज काशत है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेश दिया जाता है प्रार्थी की कृषि भूमि ख0सं0 1884/1348 रकबा 0.8094 हैक्टेयर वाके ग्राम डाबी को वर्तमान राजस्व नक्शे में उत्तर से दक्षिण, पूरब दिशा में तरमीम करें एवं अप्रार्थी सं0 1 की कृषि भूमि ख0सं0 1158/1348 रकबा 0.8094 हैक्टेयर वाके ग्राम डाबी को उत्तर से दक्षिण, पश्चिम दिशा में तरमीम कर इन्द्राज दुरुस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 21.06.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।



(कमल कुमार मीना)  
उपखण्ड अधिकारी  
तालेडा जिला बून्दी (राज0)